पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 8 वांछित अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 01 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक 18.09.2024

दिनांक 17/18.09.2024 को-

01-थाना आशियाना में पंजीकृत मु0अ0सं0-0336/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 319(2)/318(4) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र

02- थाना चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0-0443/2024 धारा 64(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त राज कुमार

03-थाना काकोरी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0229/2024 धारा 317(2) /317(4) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 01-सिद्धार्थ विश्वकर्मा उर्फ सिद्धु 02-संगीत राठौर उर्फ टिक्की

04-थाना मडियांव में पंजीकृत मु0अ0सं0-0567/24 धारा 272 बीएनएस व 4/21 टौबैको एक्ट, धारा 77 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 से सम्बन्धित 04 अभियुक्त 01-सादिक अली 02-सौरभ अवस्थी 03-प्रखर अवस्थी 04-नीरज बाल्मीकी गिरफ्तार।

एवं

01-थाना बीकेटी में एनबीडब्ल्यू वाद सं0 949/2018 अ0सं0 704/2017 धारा 138(बी) ई0सी0 एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी मतलूम गिरफ्तार।

जोन- उत्तरी

आत्महत्या-थाना गुडम्बा-

थाना स्थानीय पर दिनांक 17/18.09.2024 को देर रात्रि श्रीमती निलम शर्मा पत्नी वेद रतन शर्मा निवासिनी मायापुरी कालोनी थाना गुडम्बा लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि उसके पति वेद रतन शर्मा उम्र करीब 35 वर्ष जो की लकड़ी का काम करते थे, जिन्हें बचपन से ही दौरा आने की बीमारी थी। उसके दोनों बच्चे मायके में रहते हैं। दिनांक 17.09.2024 को सायं को वह मुन्शी पुलिया से अपनी नौकरी से वापस आते समय अपने मायके (गुडम्बा) से अपने बेटे को लेकर, घर पर वापस आयी तो देखा कि अन्दर से दरवाजा बन्द था, गेट खोलकर जब अन्दर गये तो देखा उसके पति वेद रतन शर्मा ने पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उनका शव लटका हुआ है। आस पास के लोगों की मदद से शव को उतार कर रखा है। **इस सूचना पर श्री एस0आई0 श्री त्रिविक्रम सिंह थाना गुडम्बा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।** अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जोन- पूर्वी

सड़क दुर्घटना-थाना विभूतिखण्ड-

दिनांक 17/18.09.2024 को वादी सैयद मोहम्मद मोत्तर रिजवी निवासी फ्लैट-304 यूनिटी प्लाजा, दुर्गा देवी मार्ग, मेहताबगंज, थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा थाना विभूतिखण्ड पर लिखित तहरीर दी कि वादी के भाई सैयद मोहम्मद अम्बर रिजवी उम्र करीब 53 वर्ष जो जिला उद्योग केन्द्र बाराबंकी में असिसटेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त थे। जो बाराबंकी से अपनी मोटरसाईकिल सं0 यूपी 32 एलक्यू 9622 (हाण्डा शाइन) से वापस लखनऊ आई0जी0पी0 में विभागीय कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे, कि समय करीब 16.00 बजे से 16.15 बजे की बीच जब वह कमता ओवर ब्रिज, अवध बस डिपो के सामने पहुंचे ही थे कि किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के भाई की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादी के भाई गंभीर रूप से घायल हो गये व उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी, जिन्हें आस पास के लोगों की मदद से इलाज हेतु डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर तत्काल थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 0327/2024 अंतर्गत धारा 106(1)/281/324(4) बीएनएस बनाम वाहन व चालक अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

जोन- उत्तरी

मारपीट-थाना गुडम्बा-

थाना स्थानीय पर दिनांक 17-.09.2024 को वादी फैसल खाँन पुत्र स्व0 अमालुद्दी खान निवासी न्यू तिवारीपुर, जानकीपुरम लखनऊ, के द्वारा लिखित तहरीर थाना स्थानीय पर दी गयी, जिसमें वादी अपने काम से वापस लौट रहा था कि टेढ़ी पुलिया चौराहे पर उस्मान सब्जी विक्रेता के ठेले से सब्जी खरीदने के लिये दाम पूछा तो उसने उल्टा जवाब दिया तो वादी ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तो उसने गाली-गलौज किया उसके विरोध करने पर डंडा और कैरेट से अपने साथियों के साथ वादी पर हमला किया और मारा एंव बीच बचाव करने वाले सतीश कुमार चतुर्वेदी के ऊपर चाकू से हमला किया तत्काल काफी लोग इकठ्ठा हो गये इस बीच वह मौका पाकर मौके से फरार हो गया, तथ्य अंकित हैं। **वादी द्वारा दी गयी तहरीर के क्रम में तत्काल थाना गुडम्बा पर एन0सी0आर0 0025/2024 धारा 115(2)/352 बीएनएस बनाम उस्मान सब्जी विक्रेता व उसके अन्य साथी नाम-पात अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर** घटना में शामिल 04 अभियुक्तों क्रमशः 01.उस्मान पुत्र मो0 हुसैन निवासी-हालपता-मोहल्ला आदिलनगर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ स्थायी पता- ग्राम इटौरी थाना रेऊसा जनपद सीतापुर उम्र करीब 33 वर्ष, 02-मो0 नियाज पुत्र स्व0 मुन्ना निवासी हालपता-मोहल्ला आदिलनगर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ स्थायी पता-ग्राम शाहपुर थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 50 वर्ष 03-संजय कुमार निषाद पुत्र नान प्रसाद निवासी-हालपता-मोहल्ला सिकन्दरपुर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ स्थायी पता-ग्राम मंगल पुरवा थाना कैसरगंज जनपद बहराईच उम्र 25 वर्ष व 04-अबरार पुत्र मो० फारुख निवासी आदिलनगर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को **हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**